न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, एटा

पीठासीन अधिकारी–राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02008

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1220/2026

(CNR No. UPET010041742026)

जय सिंह उम्र करीब 56 वर्ष पुत्र प्यारे लाल, निवासी ग्राम सिंगारी, थाना ठठिया, जिला कन्नौज। ––––आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य –––––अभियोजक

मु०अ०सं0–37/2025
धारा–318(4) बी०एन०एस०
एवं **66 डी आई०टी० एक्ट**
थाना–साइबर क्राइम, जिला एटा।

13.07.2026

आवेदक/अभियुक्त **जय सिंह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**37/2025** धारा–**318(4) बी०एन०एस०** एवं **66 डी आई०टी० एक्ट**, थाना **साइबर क्राइम**, जिला एटा के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लेखित किया है कि यह उसका द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि आवेदक का आरोप–पत्र आने के उपरान्त यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है। आवेदक/अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2026 को निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान प्रार्थना–पत्र में आवेदक द्वारा मूलतः वही आधार एवं तर्क पुनः उठाये गये हैं, जो उसके प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र में लिये गये थे। प्रथम प्रार्थना–पत्र के निरस्तीकरण के उपरान्त किसी नवीन अथवा परिवर्तित परिस्थिति का उल्लेख अथवा प्रदर्शन नहीं किया गया है, जिसके आधार पर पूर्व में पारित आदेश से भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जा सके। अतः वर्तमान द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

आदेश

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त **जय सिंह** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

(राकेश धर दुबे)

दिनॉकः 13.07.2026 सत्र न्यायाधीश, एटा।

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.07.13 15:38:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court